संख्या- 139 /2023 / 626 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय:- निर्माणाधीन प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 वातानुकूल, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, नेटवर्किंग/ ई0पी0बी0एक्स तथा डमी जीवों/वस्तुओं के प्रदर्शन (डिस्प्ले) कार्य हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1616/उ0प्र0सं0नि0-1(56) /2017-18- ।।। दिनांक 25 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 वातानुकूल, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, नेटवर्किंग/ ई0पी0बी0एक्स तथा डमी जीवों/वस्तुओं के प्रदर्शन (डिस्प्ले) कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 375.02 लाख (रू0 तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 162/2020/1840/चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन हेतु प्रदान की गयी रू0 1170.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(4) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियां सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04 - कला तथा संस्कृति - 106-संग्रहालय- 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश - 8903- संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन- 24- वृहत् निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 375.02 लाख को संक्रमित कर अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04 - कला तथा संस्कृति - 106-संग्रहालय- 11- प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 139 /2023 / 626 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20222023-626-Char-2023

विषय:- निर्माणाधीन प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 वातानुकूल, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, नेटवर्किंग/ ई0पी0बी0एक्स तथा डमी जीवों/वस्तुओं के प्रदर्शन (डिस्प्ले) कार्य हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041068903 (संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,75,02,000 रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र	3,75,02,000 रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र	24,98,000 रुपये चौबीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 3,75,02,000	₹ 3,75,02,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061100 (प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	3,75,02,000 रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र	3,75,02,000 रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र	8,75,02,000 रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 3,75,02,000	₹ 3,75,02,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1616/उ0प्र0सं0नि0-1(56) /2017-18- ।।। दिनांक 25 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 वातानुकूल, सी0सी0टी0वी0 कैमरे, नेटवर्किंग/ ई0पी0बी0एक्स तथा डमी जीवों/वस्तुओं के प्रदर्शन (डिस्प्ले) कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 375.02 लाख (रू0 तीन करोड़ पचहत्तर लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 162/2020/1840/चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ में "प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय" के नये संग्रहालय भवन हेतु प्रदान की गयी रू0 1170.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति में वी0आर0वी0/ वी0आर0एफ0 हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(4) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियां सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04 - कला तथा संस्कृति - 106-संग्रहालय- 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश - 8903- संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन- 24- वृहत् निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 375.02 लाख को संक्रमित कर अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04 - कला तथा संस्कृति - 106-संग्रहालय- 11- प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-559-E-7-404-X-2022-23-दिनांक:21-03-2023

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

राजेन्द्र राम
उप सचिव

संख्या- 139 /2023 / 626 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in